

विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। -हरिऔध

संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं की गिरती साख

भारत में कई ऐसी संस्थाएं और ऐसे पद हैं जिन्हें संवैधानिक अथवा वैधानिक कहा जाता है। इन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार हटा नहीं सकती है। इन पदों पर आसानी व्यक्तियों से अपेक्षा होती है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ, दल, जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत और भाषा से ऊपर उठकर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने निर्णय देंगे ताकि नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी प्रकार कई वैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जा सकता है। यह सुरक्षा इसीलिए प्रदान की गई कि वे किसी राजनीतिज्ञ अथवा अन्य वर्ग के दबाव में आकर कोई काम न करें एवं सारे निर्णय कानून तथा संविधान के अनुसार लें।

ऐसी संस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, सेबी, लोकपाल आदि शामिल हैं। इनमें से कई पदों पर नियुक्तियां हालांकि कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं, किंतु उन्हें हटाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित की गई है, जिसका पालन किए बिना मनमाने तौर पर कार्यपालिका, किसी को अपने पद से नहीं हटा सकती है। इसी संवैधानिक/वैधानिक सुरक्षा का प्रयोग करते हुए टी एन शेषन जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्थापित किया। उन्होंने सत्ताधारी नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने उन लोगों के विरुद्ध भी निर्णय दिए जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था।

संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति सरकार द्वारा कानून के माध्यम से बनाई जाएगी। लगभग 70 सालों तक भी सरकार ने इससे संबंधित कानून नहीं बनाया और सरकारों के द्वारा मनमाने तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती रही। जब इस प्रकार नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्तों द्वारा सत्ताधारी दल के पक्ष में कार्यवाही होनी प्रारंभ हुई तो यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा यह व्यवस्था दी कि जब तक सरकार इस बारे में कोई कानून न बनाए, तब तक प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त के लिए चयन करेगी। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया, तत्काल, सरकार ने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर, पारित करा लिया जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री तथा विपक्ष के नेता की एक समिति बना दी गई। इस समिति में दो सदस्य सरकार के थे, अतः निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होना था और ऐसा ही होने भी लगा। विपक्ष के नेता द्वारा इस बारे में आपत्तियां भी की गईं किंतु इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है। इसी बीच, सरकार ने अपनी समिति के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी है।

सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था तब तक तो ठीक चलती रही जब तक कार्यपालिका ने अनावश्यक रूप से चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दिया और चुनाव आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सत्ताधारी दल और अन्य राजनीतिक दलों में कोई भेदभाव किए बिना निर्वाचन संबंधी कानून की पालना करवाते रहे। तब कुछ वर्षों से यह देखा गया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करवाते समय चुनाव आयोग के द्वारा सरकार के नेताओं के प्रति एवं विपक्ष के नेताओं के प्रति अलग-अलग प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया। जहां एक ओर आदर्श आचार संहिता के छोटे-मोटे उल्लंघन पर विपक्ष के नेताओं पर कड़ी कार्यवाही की गई, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा बाटे-बाटे इसका गंभीर उल्लंघन होने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह की प्रवृत्ति को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति का सदस्य बनाया था।

पर्याप्त सेवा सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति, सरकार के दबाव में काम करने लगे हैं। इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में सामने आया जब सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने सरकार के दबाव में कार्य किया और बदले में सरकार ने भी उन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेबी अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई आरोप लगे जिनके प्रथमदृष्टया सही होने के बावजूद न तो माधवी बुच ने इस्तीफा दिया न ही सरकार ने उन्हें पद से हटाया। इससे, इस महत्वपूर्ण पद की साख को गिराने का ही काम हुआ।

इसी प्रकार नोट बंदी जैसा दुरगामी प्रभाव वाला निर्णय भी बिना रिजर्व बैंक की पूर्व सहमति से लिया गया। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी पसंद के लोगों को बिनाकर केन्द्र सरकार ने उनके माध्यम से विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने का काम किया।

संस्थाओं का दुरुपयोग अपने पक्ष में करने के लिए एवं विपक्ष के नेताओं को विभिन्न कानूनी प्रकरणों में उलझाने के दृष्टि से सी बी आई, ई डी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग बहुत बढ़ा है। यू पी ए शासन काल में सर्वोच्च न्यायालय ने सी बी आई को 'पिंजरे में बंद तंतों' की संज्ञा दी और कहा कि यह सरकार की ही भाषा बोलता है। एक बार न्यायिक प्रक्रिया में उलझने के बाद सालों तक मामला लंबित रहता है, जिसके कारण सत्ताधारी दल के नेताओं को, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाने और उसका चुनावी लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, सत्ता पक्ष की हों में ही मिलाने वाले व्यक्तियों की होने लगतीं। संदिग्ध सत्य निष्ठा वाले व्यक्ति भी इनमें नियुक्त होने लगे। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले। एन टी ए का उदाहरण हमारे सामने है जिसके अध्यक्ष के कारण सरकार को नोट पेपर लोक प्रकरण में बहुत बदनामी झेलनी पड़ी थी।

यह समझ से परे है कि संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है? उन्हें किस बात का डर है? संभवतया, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। यही कारण है कि वे सरकार की इच्छा अनुसार कार्य करने का रास्ता अपना लेते हैं। इस प्रकार के प्रलोभन से कोई नहीं बच पाया है, चाहे वे न्यायाधीश हों अथवा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अन्य व्यक्ति। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम एस गिल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा, आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें अपने संवैधानिक पदों से निवृत्त होते ही उन्हें राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य अथवा किसी आयोग के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया। यह मांग कई बार उठती रही है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 2 वर्ष तक किसी भी ऐसे पद पर नहीं नियुक्त किया जाए जहां पर नियुक्तियों कार्यपालिका के द्वारा की जाती हैं।

एक समय था जब सरकारी पदों पर कार्यरत अधिकारी भी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की अनुचित बात को मानने से इनकार करने का साहस रखते थे। उनसे यही अपेक्षा भी होती थी। उनके द्वारा दी गई विधि और संविधान सम्मत जनहित का सलाह का सम्मान भी जनप्रतिनिधि करते थे। उस समय, राजनीति में 'राजनीतिज्ञ' कम और 'राजनेता' अधिक होते थे। आजकल तो कोई भी अनुचित आदेश मानने से मना करने पर तत्काल उच्च अधिकारियों तक का तबादला कर दिया जाता है। अधिकारी भी अपने मेरू डंड को सीधा रखने के स्थान पर उल्टे-सीधे कार्यों को मानने में ही अपनी भलाई समझने लगे हैं।


राजनीतिज्ञों की तो अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनाव जीतने के लिए कई बार गलत निर्णय लेने हेतु अधिकारियों को कहने की मजबूरी हो सकती है, किंतु अधिकारियों से तो यही अपेक्षा रहती ही है कि वे विधि सम्मत कार्य ही करेंगे। कुछ दशक पूर्व तक ऐसे अधिकारी पसंद किए जाते थे जो अपनी बात सही और स्पष्ट रूप से मंत्रियों के समक्ष रख सकें। जनप्रतिनिधि भी उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का आदर करते थे। आजकल, ऐसे मंत्री और अधिकारी विरले ही हैं। जैसा कि इसी स्तंभ में मैंने पहले भी एकाधिक बार लिखा है, संविधान के अनुसार, देश में सर्वोच्च सत्ता तो नागरिक की है और उसी के हित की पूर्ति के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रावधान किया गया है, किंतु आजकल देखने में यह आ रहा है कि सबसे पहले उसी के अधिकार और हित की बलि चढ़ाई जा रही है।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की योग्यता में कोई कमी नहीं है। वे लाखों व्यक्तियों में से कठिन परीक्षा के माध्यम से चुनकर आते हैं, किंतु उन्हें मिली सेवा सुरक्षा के बावजूद, यदि वे सभी प्रकार के अनुचित आदेशों की पालना करके अपने पद की साख को कम ही करते हैं। संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई अधिकारी और व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसको देखकर तो यही कहावत लागू होती है "जब बाड़ ही खेत को खाए, तो उसे कौन बचाए?"

सभी भ्रष्ट व्यक्तियों को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए चाहे फिर वे न्यायपालिका से ही क्यों न हों। कोई व्यक्ति केवल न्यायाधीश होने मात्र से अनिवार्य रूप से ईमानदार नहीं हो जाता। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए। कुल मिलाकर, यही कह सकते हैं कि संवैधानिक और महत्वपूर्ण वैधानिक पदों की साख बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी तो इन पदों पर बैठे व्यक्तियों की ही है। यह तब ही सुनिश्चित हो सकता है जब इन पर नियुक्तियों के साथ, श्रेष्ठ, योग्य और निष्पक्ष व्यक्तियों को ही। महत्वपूर्ण संस्थाओं का धरुण लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

-अतिथि भाषावत, राजेंद्र भागवत, पूर्व आई ए एस, उपाध्यक्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, राजस्थान चैप्टर

प्रदेश में खेल सुविधाओं पर है सरकार की बारीक नजर



गौरीकांत शर्मा

उदयपुर। राज्य सरकार ने अपने बजट में उदयपुर में लेकरोस खेल के संवर्धन हेतु अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। लेकरोस मूलतः अमेरिकी खेल है। यूं तो अमेरिका का उदयपुर से कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन अमेरिकी खेल लेकरोस में उदयपुर के खिलाड़ियों ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेल जगत का ध्यान खींचा है। क्षेत्र विशेष में खेल विशेष की संभावनाओं को तलाशकर उसके अनुरूप योजना बनाने की राज्य सरकार गहन दृष्टि का ही परिणाम है कि सरकार ने उदयपुर के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर राजस्थान ने सोनियन वर्ग की महिला व पुरुष दोनों वर्गों के स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सब जूनियर वर्ग में बालक व बालिका दोनों ही टीम ने रजत पदक जीता। इससे पूर्व फेडरेशन कप में भी राजस्थान की पुरुष व महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीत वचस्व स्थापित

में लेकरोस भी शामिल है। उदयपुर में लेकरोस अकादमी खुलने से नई पीढ़ी को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ उचित मानक के इक्विपमेंट, डाइट एवं प्रतियोगिता अनुरूप सुविधाएं भी मुहैया होंगी जिससे खिलाड़ियों को इस खेल में अपने कोशल को सुधारते हुए उत्तरोत्तर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। जनजाति बहुल मेवाड़ अंचल ने देश को लेकरोस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सात महिला व तीन पुरुष खिलाड़ी दिए हैं। स्थानीय प्रशिक्षक नीरज बत्रा द्वारा प्रशिक्षित सुनीता मीणा, डाली गमेती, मीरा दौजा, जुला कुमारी गुर्जर, विशाखा मेघवाल, हेमलता डांगी महिला वर्ग में और मोहनलाल गमेती, खुमाराम गमेती एवं प्रणय त्रिपाठी पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। महिला टीम ने उजबेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई एशियाई प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में कप्तान सुनीता मीणा 22 गोल करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही। तीनों पुरुष खिलाड़ी इन दिनों जापान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उदयपुर में हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सफल मेजबानी की। इसमें भी उदयपुर के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर राजस्थान ने सोनियन वर्ग की महिला व पुरुष दोनों वर्गों के स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सब जूनियर वर्ग में बालक व बालिका दोनों ही टीम ने रजत पदक जीता। इससे पूर्व फेडरेशन कप में भी राजस्थान की पुरुष व महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीत वचस्व स्थापित



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर यात्रा के दौरान एशियाई रजत पदक विजेता लेकरोस खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए।

किया। अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता की बालक व बालिका टीम ने स्वर्ण एवं दूसरी राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में बालिका टीम ने स्वर्ण तथा बालकों ने कांस्य पदक जीता था। राजस्थान ने विभिन्न वर्गों की अथ तब हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 14 स्पर्धाओं में से आठ में स्वर्ण, दो में रजत तथा एक कांस्य पदक जीत कर देशभर में इस खेल में अपना झंडा बुलंद किया है। राजस्थान टीम में अधिकांशतः खिलाड़ी उदयपुर के जनजाति क्षेत्र के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अपनी मानगढ़ यात्रा के दौरान भारतीय लेकरोस टीम की महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहा एवं कप्तान सुनीता मीणा को प्रथम आदि गौरव खेल

रत्न से नवाजा। राज्यपाल ने भी राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सुनीता को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में एशियाई रजत पदक विजेता लेकरोस खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों को सराहाते हुए प्रोत्साहित किया। साथ ही बंसवाड़ा में लेकरोस के जनजाति खिलाड़ी डाली गमेती व मोहनलाल गमेती को सम्मानित किया। बजट में अकादमी की घोषणा से लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 को लेकर स्थानीय प्रतिभाओं में एक उम्मीद की किरण के साथ नये उत्साह का संचार हुआ है। राज्य सरकार की इस बजट घोषणा का लेकरोस एसोसिएशन ऑफ

इंडिया, राजस्थान लेकरोस संघ, उदयपुर लेकरोस संघ के पदाधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षक सहित खेलप्रेमियों ने स्वागत किया है। सभी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठीड, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल शर्मा, मेवाड़ क्षेत्र के सांभल, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, वनवासी कल्याण परिषद व संभागीय आयुक्त प्रजा केवलरामानी का आभार व्यक्त किया है।

-गौरीकांत शर्मा

उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उदयपुर

कोटा मंडल होकर संचालित 10 जोड़ी गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा

कोटा, (नि.सं.) रेलवे द्वारा आगामी त्योंहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु कोटा मंडल होकर जाने वाली 10 जोड़ी गाड़ियों में विभिन्न श्रेणियों के अस्थाई कोच की बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 19608/19607, मदार-कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में मदार से दिनांक 03.03.25 से 31.03.25 तक एवं कोलकाता से दिनांक 06.03.25 से 03.04.25 तक 01 सैकण्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 12465/12466, इंदौर-भगत की कोटी-इंदौर एक्सप्रेस में इंदौर से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक एवं भगत की कोटी से दिनांक 03.03.25 से

02.04.25 तक 03 द्वितीय शयनयान कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14854/14853, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14864/14863, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14866/14865, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14867/14866, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14868/14867, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14869/14868, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14870/14869, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14871/14870, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14872/14871, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14873/14872, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14874/14873, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14875/14874, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14876/14875, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14877/14876, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14878/14877, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14879/14878, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14880/14879, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14881/14880, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14882/14881, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14883/14882, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14884/14883, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14885/14884, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14886/14885, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14887/14886, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14888/14887, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14889/14888, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14890/14889, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14891/14890, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14892/14891, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14893/14892, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14894/14893, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14895/14894, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14896/14895, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14897/14896, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14898/14897, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14899/14898, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14900/14899, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14901/14900, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14902/14901, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14903/14902, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14904/14903, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14905/14904, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14906/14905, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14907/14906, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14908/14907, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14909/14908, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14910/14909, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14911/14910, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14912/14911, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14913/14912, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14914/14913, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराणसी सिटी से दिनांक 02.03.25 से 01.04.25 तक 01 थर्ड एसी श्रेणी कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14915/14914, जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस में जोधपुर से दिनांक 01.03.25 से 31.03.25 तक तथा वाराण